*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–03/ना०सु०–22–5/2025 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर निगम, गयाजी क्षेत्रान्तर्गत आसन्न पितृपक्ष मेला, 2026 के सफल संचालन हेतु विभिन्न कार्यों के लिए कुल राशि रू० 250.00000 लाख (दो करोड़ पचास लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के पत्रांक–2056, दिनांक–17.08.2026 द्वारा नगर निगम, गयाजी क्षेत्रान्तर्गत आसन्न पितृपक्ष मेला, 2026 के अवसर पर सफाई, जलापूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य कार्यों हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में गयाजी नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पितृपक्ष मेला, 2026 के अवसर पर विभिन्न कार्यों हेतु कुल रू० 250.00000 लाख (दो करोड़ पचास लाख रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत कुल रू० **250.00000 लाख (दो करोड़ पचास लाख रू०) मात्र राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक– 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, गयाजी के PL खाता सं०– GYAPLA014, HOA संख्या– 00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।***

3. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत कुल रू० 250.00000 लाख (दो करोड़ पचास लाख रू०) मात्र की निकासी मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0124–विशेष स्वच्छता अनुदान, विपत्र कोड– 48-2217011910124, विषय शीर्ष 0124.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है की कार्यों का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। क्रय संबंधित कार्य विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/ना०सु०–22–5/2025 के पृष्ठ सं०–126/टि० पर दिनांक–30.09.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–127/टि० पर दिनांक–08.10.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०–22–5/2025 208 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 13.12.2026

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, गया/नगर आयुक्त, नगर निगम, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।